न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 130/2021

मंगतू पुत्र नन्नू जाति गुर्जर निवासी ग्राम भैंसेडा तहसील पहाडी (भरतपुर)राज0
प्रार्थी

बनाम

1. अवतार सिंह
2. बनवारी सिंह
3. मोहन सिंह
4. रामजीत सिंह पिसरान रतन सिंह जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम भैंसेडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

अप्रार्थीगण

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपपंजीयक तहसील पहाडी भरतपुर राज0

फौरमल अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री सतीश शर्मा वकील प्रार्थी
2. श्री यशपाल सैनी वकील अप्रार्थीगण 1 लगायत 4

दिनांक :–21/09/2021

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर आ0ख0न0 3865/0.79 है वांके ग्राम भैंसेडा तहसील पहाडी में स्थित है। विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सम्मलित खातेदारी की आराजी है जिसमें प्रार्थी अपने हिस्से पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है आराजी मुतदाविया का सम्मलित खाते होने की वजह से काश्त करने में परेशनी रहती है तथा सम्मलित में खाता एवं काश्त करना सम्भव नहीं रहा है क्योकि वक्त काश्त आपस में तनाजा रहता है तथा राज लगान अदा

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

करने में भी परेशानी रहती है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से विधिवत विभाजन करने की दिनांक 07/09/2021 को कहा तो अप्रार्थीगण ने आराजी का विभाजन करने से इन्कार कर दिया विधि वजह प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण आराजी का विभाजन अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी मुताबिक हिस्सा करा कर अपने हिस्से का अलग खाता एवं राज लगान कायम कराने का अधिकारी है। आराजी का सम्मलित खाता होने की वजह से अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत करते है और आराजी को विना विभाजन कराये दीगर लोगो को बेचान करना चाहते है जिसकी धमकी दिनांक 09/07/2021 को ग्राम भैंसेडा में दी है। यदि अप्रार्थीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति जर्रे नकद से कदापि सम्भव न हो सकेगी। विधि वजह प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई चंद रोजा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे कब्जे काश्त प्रार्थी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे बिना विभाजन कराये आराजी को रहन वय मुन्तकिल न करे एवं प्रार्थी को उसके हिस्से से बेदखल न करे एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये दिनांक 13/09/2021 को जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की गरज से पेश किया गया है विवादित आराजी का आपसी सहमति से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता रतन सिंह के मध्य अरसा करीब 40 वर्ष पूर्व मौका व कब्जा के अनुसार हो चुका था। जिसमें विवादित आराजी का उत्तरी हिस्सा हम अप्रार्थीगण के पिता रतन सिंह के हिस्से में तथा दक्षिणी हिस्सा प्रार्थी के हिस्से में वाहिस्सा बराबर आया था और उसी समय आराजी के मध्य मेड बना दी गई जो बदस्तूर चली आ रही है और हम प्रतिवादीगण अपने पिता के जीवन काल से ही आराजी के उत्तरी हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण का प्रार्थी के हिस्से कोई लेना देना नहीं है । जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सम्मलित खातेदारी की आराजी है। आराजी का सम्मलित खाता होने की वजह से अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत करते है और आराजी को बिना विभाजन कराये दीगर लोगो को बेचान करना चाहते है। अप्रार्थीगण का कथन है कि विवादित आराजी का आपसी सहमति से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता रतन सिंह के मध्य अरसा करीब 40 वर्ष पूर्व मौका व कब्जा के अनुसार हो चुका था। और आज भी मौके पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। परन्तु इस संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा कोई भी दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये है। जिससे स्पष्ट होता हो कि भूमि का पूर्व में ही विभाजन हो चुका है। अतः विभाजन से पूर्व भूमि के प्रत्येक इंच पर सभी खातेदारों का पूर्ण हक माना गया है। अगर अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को अवश्य ही अपूरणीय क्षति होगी। अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थीगण की अपेक्षा प्रार्थी में निहित है।
2. **सुविधा सन्तुलन :–**प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सम्मलित खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा करने की कोशिश क़ी जा रही है। अगर अप्रार्थीगण इसमें सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को ही असुविधा होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी में ही निहित है।
3. **अपूरणीय क्षति :–**प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण की अपेक्षा प्रार्थी में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण ,सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण की तुलना में प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27/07/2021 को ताफ़ैसला मूल बाद कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21/09/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ी (...पुर)